न्यायालय श्री जगजीत सिंह मोंगा, R.A.S. अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व अपील संख्या : 18/2019(जीसीएमएस संख्या : 2019/00037)

1. नन्दकिशोर पुत्र श्री रामगोपाल उर्फ रामपाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम स्वामी का बास, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट,

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।
2. माफी मंदिर श्री सीताराम जी विराजमान ग्राम स्वामी का बास, पटवारी हल्का श्री निवासपुरा, उर्फ थूणी तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, चाकसू, दिनांक 27.01.2007 नामान्तरकरण संख्या 84 ग्राम–स्वामी का बास।)

उपस्थितः–
1. श्री सुबोध कुमार जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट् की ओर से।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक : 30.03.2021

आराजी खसरा नं0 419 रकबा 0.52 है0, आराजी खसरा नं0 420 रकबा 0.53 है0, आराजी खसरा नं0 421 रकबा 0.10 है0, आराजी खसरा नं0 550 रकबा 0.40 है0, आराजी खसरा नं0 420/662 रकबा 0.01 है0 के खातेदार नन्दकिशोर पुत्र रामपाल जाति–ब्राह्मण सा0 देह खातेदार की आराजी खसरा नं0 420 रकबा 0.53 है0 का नामान्तरकरण माफी मन्दिर श्री सीताराम जी के नाम स्वीकार किया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री सुबोध जैन का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित की गई है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट् को सुनवाई साक्ष्य का नोटिस/अवसर नहीं दिया गया सारी कार्यवाही बाला–बाला की गई है। वादग्रस्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो वास्तविक स्थिति का पता लगाया और ना जांच की, ना राजस्व रिकॉर्ड साबिका, व वर्तमान का अवलोकन ही किया और ना नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को कोई सुनवाई का मौका ही दिया। नामांतरकरण तस्दीक किये जाने की सभी आवश्यक कार्यवाही का उल्लंघन किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त नामांतरकरण तस्दीककर्ता अधिकारी ने माफी मंदिर सीताराम जी की वास्तविक माफी कृषि भूमि जो साबिक खसरा नं0–344 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा की जगह है स्थित

वर्तमान ख0नं0–419 रकबा 0.52 है0 का अंकन ना कर ख0नं0–420 रकबा 0.53 है0 का अंकन कर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो वास्तविकता से परे होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। माफी मंदिर सीताराम जी मंदिर के पुजारी वजमाने जागीरदार/स्टेट से वर्तमान तक अपीलांट व अपीलांट के बुजुर्गान ही रहे है लेकिन अपीलांट के निज खाते जो खरीदशुदा भूमि है वह अलग है जिसमें ख0नं0–420 रकबा 0.53 है0 माफी मंदिर सीताराम जी के दर्ज कर दी जबकि माफी मंदिर सीताराम जी के भूमि ख0नं0–419 रकबा 0.52 है0 है जिसका अपीलांट निजी स्वामी नहीं है लेकिन माफी मंदिर सीताराम जी की सेवा पूजा देख–रेख, इत्यादि कार्य इसी भूमि की आय से अपीलांट बहैसियत ही करता पुजारी है। इस कारण अपीलांट के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। इस लिहाज से वादग्रस्त नामांतरकरण बाबत ख0नं0–420 खारिज किये जाने योग्य है। मंदिर माफी सीताराम जी की भूमि ख0नं0–419 रकबा 0.52 है0 की खातेदारी कब्जे काश्त में तथा अपीलांट के निजी खातेदारी की ख0नं0–420, 421, व 420/662 (चाह) से कोई विवाद आपस में है और ना अन्य किसी से है मंदिर की भूमि मंदिर की है और निजी खातेदारी भूमि खातेदार की भूमि अपीलांट की है। जिसे नजर–अंदाज कर सरसरी तौर पर वादग्रस्त नामांतरकरण बिना जांच के तस्दीक कर दिया गया है जो समरेली खारिज होकर दुरस्ती के काबिल है। वादग्रस्त नामान्तरकरण सरासर वास्तविक राजस्व रिकॉर्ड की अनदेखी कर आनन–फानन में बिना जांच करे तस्दीक किया गया है जो निरस्त होकर वास्तविक स्थिति के अनुसार माफी की भूमि मंदिर सीताराम जी के नाम व अपीलांट की निजी खातेदारी की भूमि अपीलांट के नाम दर्ज होकर दुरस्त होनी है। इस लिहाज से वादग्रस्त नामांतरकरण पुनः दुरस्त होने योग्य है। वादग्रस्त नामांतरकरण में हुये गलत इन्द्राज का इल्म अपीलांट को अपनी वल्दीयत नन्दकिशोर पुत्र रामपाल की जगह नन्दकिशोर पुत्र रामगोपाल करवाने की कार्यवाही के फलस्वरूप हाल ही में हुई जिस पर वादग्रस्त नामांतरकरण की नकल प्रार्थी अपीलांट को काफी कोशिश करने बाद दिनांक 13.09.2019 को मिली है। इसमें पूर्व पुजारी माफी मंदिर सीताराम जी व अपीलांट में कोई फर्क नहीं होने के कारण दुरस्ती करवाने की ना तो कब्जे के लिहाज से आवश्यकता पडी और ना ही राजस्व रिकार्ड अंकन को देखने की आवश्यकता पडी। जो देरी अपीलांट को हुई है वह मात्र उक्त कारण से हुई है अपीलांट सद्भावनावश गलत अंकन को दुरस्त कराने के लिहाज से इल्म होते ही अपील पेश कर रहा है। इस लिहाज से वादग्रस्त नामांतरकरण निरस्त किया जाकर दुरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त नामांतरकरण कतई ईल–लीगल व अगेंस्ट प्रींसिपल ऑफ इक्विटी एण्ड जस्टिस होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील/अपीलान्ट् मंजूर फरमाई जावे। वादग्रस्त नामांतरकरण सं0–84 दिनांक 27.01.2007 बाबत् ख0नं0–420 निरस्त कर वास्तविक स्थिति के अनुसार माफी मंदिर सीतारामजी के नाम ख0नं0–419 अंकित किये जाने हेतु आदेश जारी फरमाते हुऐ आदेश पारित किये जावे।

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है। वादग्रस्त नामान्तरकरण राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प02(4) राज/4/90/37 दिनांक 13.12.1991 की पालना में स्वीकार किया गया है जो नियमान्तर्गत है। माफी मन्दिर की जो आराजी पुजारी के नाम लगा दी गई थी उसे वापस माफी मन्दिर श्री सीताराम जी के नाम दर्ज की गई है। अतः अपील अपीलान्ट् खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त् सम्वत् 2008–2023 में आराजी खसरा नम्बर–344 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा माफी मन्दिर श्री सीताराम वएतमाम पुजारी रामगोपाल वल्द औंकार कौम ब्राह्मण साकिन देह मु0 कदीम माफी देन ठिकाना दर्ज है जिसके एकीकरण में नये खसरा नम्बर–157 बने जो रामगोपाल वल्द औंकार कौम ब्राह्मण साकिन देह के नाम अंकित है तथा नकल खतौनी एकीकरण सम्वत् 2022 से जाहिर है। इसके पश्चात् रामगोपाल की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट् नन्दकिशोर के नाम स्वीकार किया गया है और खतौनी बन्दोबस्त् सम्वत् 2051 से 2070 में नये खसरा नं0 419 रकबा 0.52 है0, आराजी खसरा नं0 420 रकबा 0.53 है0, आराजी खसरा नं0 421 रकबा 0.10 है0, आराजी खसरा नं0 550 रकबा 0.40 है0, आराजी खसरा नं0 420/662 रकबा 0.01 है0 दर्ज होकर नन्दकिशोर पुत्र रामगोपाल जाति–ब्राह्मण के नाम दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2075 अनुसार आराजी खसरा नं0 420 रकबा 0.53 है0 माफी मन्दिर श्री सीताराम जी हिस्सा पूर्ण साकिन देह खातेदार अंकित है तथा आराजी खसरा नं0 419 रकबा 0.52 है0, आराजी खसरा नं0 420/662 रकबा 0.01 है0, आराजी खसरा नं0 421 रकबा 0.10 है0, आराजी खसरा नं0 550 रकबा 0.40 है0 नन्दकिशोर पुत्र रामगोपाल हिस्सा पूर्ण जाति–ब्राह्मण साकिन देह खातेदार अंकित है। नामान्तरकरण संख्या–84 से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 420 रकबा 0.53 है0 भूमि नन्दकिशोर पुत्र रामपाल जाति–ब्राह्मण से माफी मन्दिर श्री सीताराम जी के नाम राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 एवं जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक राजस्व–5/सम/02/8861–62 दिनांक 23.07.2002 की पालना में अंकित हुई। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 23.07.2002 अवैध था या उस आदेश की पालना में खुला नामान्तरकरण संख्या–84 दुरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और वकील अपीलान्ट् भी यह सिद्ध नहीं कर सके कि आराजी खसरा नम्बर 345 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी खसरा नम्बर 418 मिन रकबा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के नये खसरा नम्बर–419 रकबा 0.52 है0, आराजी खसरा नम्बर–420/662 रकबा 0.01 है0, आराजी खसरा नम्बर–421 रकबा 0.10 है0 कुल किता 03 रकबा 0.63 है0 न होकर आराजी खसरा नम्बर–420 रकबा 0.53 है0 है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट् साबित न होने के फलस्वरूप अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगजीत सिंह मोंगा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर